

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़  
पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण संख्या 86/2015 वाद

बालुराम जाट

// बनाम //

मोतीलाल जाट व अन्य



दावा धारा 53,88,188 रा0का0अधि0

निर्णय

दिनांक 07.06.2019

वकील वादी के आवेदन पत्र पर पत्रावली सीगे से तलब की गई। वकील वादी ने आवेदन पत्र में निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगणों के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। इसलिए वादी इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहता है तथा इस वाद को इसी स्टेज पर विद्रा कर खारिज कराना चाहता है। वकील वादी का वाद विद्रा बाबत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तथा वादी का वाद विद्रा कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी,  
निम्बाहेड़ा

